[2018] 1 एस.सी.आर. 656

भारत संघ

बनाम

लीन मार्टिन और अन्य

आपराधिक अपील सं. 2150/2011

फरवरी 01, 2018

**एन.वी. रमना और एस. अब्दुल नज़ीर, जेजे।**

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-धारा 8 (सी), 23- प्रतिषिद्ध माल प्रत्यार्थी नंबर 1 से 12.03 किलोग्राम वजन की हशीश की बरामदगी-धारा 8 (सी), के तहत सजा, उच्च न्यायालय ने सभी आरोपों से प्रत्यार्थी नंबर 1 को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि जब्ती प्रक्रिया के दौरान पंच मौजूद थे और ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किए गए खुफिया अधिकारी (पीडब्लू-1) की गवाही अत्यधिक असंगत और विरोधाभासों से भरी थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया कि स्वतंत्र गवाहों ने पीडब्लू-1 के बयान का खंडन किया-उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पीडब्लू-1 द्वारा बुलाया गया था और जब तक वे पहुंचे, तब तक बैग पहले से ही खोला गया था-पंचनामा उनके सामने नहीं पढ़ा गया था और उन्हें कई काग़ज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था कागजातों में क्या लिखा था, इसके बारे में पता नहीं था-जब शासकीय अधिकारी का बयान दुर्बलताओं के कारण बिगड़ा हुआ है, तो उसी पर निर्भरता रखना और अभियुक्तों के खिलाफ सजा का आदेश पारित करना सुरक्षित नहीं है-उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी सं. 1 को सही ढंग से बरी कर दिया।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि- पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, जब उन्हें खुफिया अधिकारी (पीडब्लू-1) द्वारा बुलाया गया था और जब तक वे पहुंचे, तब तक बैग पहले से ही खोला गया था। इसके अलावा यह उनके द्वारा स्वीकार किया गया था कि, पंचनामा उनके सामने नहीं पढ़ा गया था। उन्हें कई कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और उसमे क्या लिखा था, उसके बारे में पता नहीं था। इसके अलावा, पीडब्लू-1 यानी, खुफिया अधिकारी ने यह नहीं बताया कि मादक पदार्थ युक्त बैग, पंचों की उपस्थिति में खोला गया था। पीडब्लू-9 की जिरह से स्पष्ट रूप से पता चला कि वह पंचनामा की सामग्री से इस तथ्य के संबंध में सहमत नहीं था कि सामान की खोज और निरीक्षण उसकी उपस्थिति में हुआ था। पंचनामा पर प्राप्त उनके हस्ताक्षर स्वेच्छा से नहीं किए गए थे।

अभियोजन पक्ष का पूरा मामला प्रत्यार्थी सं. 1 से मादक पदार्थ की कथित बरामदगी पर टिका था, लेकिन, यह तथ्य उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ क्योंकि स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 ने एक अलग कहानी बरामदगी और जब्ती के रूप में चित्रित किया। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यार्थी सं. 1 को बयान न तो विवेकपूर्ण होगा और न ही सुरक्षित; विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि, प्रत्यार्थी सं. 1 का बयान वापस एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत वापस लिया गया था। [पारस 10,11] [659-ई-जी; 660-बी-डी]

आधिकारिक गवाह पीडब्लू-1 का बयान प्रत्यार्थी संख्या 1 को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जब आधिकारिक गवाह का बयान दुर्बलताओं के कारण बिगड़ा हुआ है, तो उसी पर निर्भरता रखना और अभियुक्त के खिलाफ सजा का आदेश पारित करना सुरक्षित नहीं है। वर्तमान मामले में, स्वतंत्र पंच गवाहों के बयान आधिकारिक गवाह पीडब्लू-1 द्वारा चित्रित एक से अलग तस्वीर को दर्शाते हैं। उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी नंबर 1 को विचारणीय रूप से उपरोक्त पहलुओं के दृष्टिगत बरी कर दिया था। [पारस 12,13] [660-डी-एफ]

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 2150।2011

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील नं. 379/2007 में पारित ऑर्डर दिनांक 20.11.2008 से-

सुश्री अलका अग्रवाल, टीसी शर्मा, केएल जंजानी, बीवी बलराम दास, श्रीमती अनिल कटियार, सलाहकार। अपीलार्थी के लिए।

आनंद ग्रोवर, सीनियर सलाहकार।, सुश्री तृप्ता टंडन, सतबीर सिंह पिल्लानिया, सोमवीर देसवाल, आरसी गुब्रेले, कुणाल चेमा, निशांत रामकांतराव कटनेश्वरकर, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **एन.वी. रमना, जे.** द्वारा दिया गया,

1. यह आपराधिक अपील 20.11.2008 को क्रिमिनल अपील नं. 379/2007 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद 'एनडीपीएस एक्ट' के रूप में जाना जाता है) की धारा 8 (सी) के तहत सभी आरोपों से प्रत्यार्थी सं. 1 को धारा 20 (बी) (द्वितीय) (सी) और अंडर सेक्शन 28 के तहत दंडनीय सपाठित धारा 23 के अन्तर्गत रिहा किया गया था।

2. इस मामले के निस्तारण के लिए अभियोजन मामले का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक हो सकता है। 05.05.2004 को, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई में सीमा शुल्क, एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने देखा कि यूरोपीय मूल का एक यात्री स्विस एयर के एयरलाइन काउंटरों के पास संदिग्ध रूप से घूमता हुआ पाया गया था। इस तरह के संदिग्ध

व्यवहार को देखते हुए, एयरलाइन कर्मियों को प्रत्यार्थी सं. 1 के सामान को अलग करने के लिए सतर्क किया गया था। उसके बाद प्रत्यार्थी सं. 1 को खुफिया अधिकारी द्वारा रोक दिया गया था और एक स्निफर कुत्ते द्वारा जांच के अधीन किया गया था।

3. जब मादक या मनोदैहिक पदार्थ की उपस्थिति के बारे में संकेत मिला, तो उसे एक सामान परीक्षा क्षेत्र में ले जाया गया। सूट कैसे खोलने पर उसके निजी सामान को अलग रखा गया था, तब भी, उसके सूट को असामान्य रूप से भारी पाया गया था। जांच करने पर, एक गलत तल का पता चला और जब झूठे तल को हटा दिया गया, तो सेलोफेन टेप में लिपटे तीन आयताकार पैकेटों में भूरे रंग के पदार्थ पाए गए, जो एक कंट्राबेंड पदार्थ हाशीष के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था।

बरामद पदार्थ का वजन 12.03 किलोग्राम पाया गया। बाद में, नमूने लिए गए और एक जब्ती पंचनामा के तहत माल जब्त कर लिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, 06.05.2004 को, प्रत्यार्थी नंबर 1 ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। जांच पूरी होने के बाद, उसके खिलाफ आरोप लगाए गए, आरोपी (प्रत्यार्थी सं. 1 यहाँ) ने दोषी नहीं होने का दावा किया और विचरण कराये जाने का दावा किया।

4. एनडीपीएस ट्रायल कोर्ट ने स्पेशल केस नं. 133/2004 में पूर्ण परीक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 8 (सी) के तहत अपराधों के लिए प्रत्यार्थी नंबर 1 की सजा, धारा 20 (बी) (द्वितीय) (सी) के तहत दंडनीय, 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माना के साथ रु. 1,00,000/- डिफ़ॉल्ट रूप से छह महीने के लिए साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा, प्रत्यार्थी सं. 1 को धारा 28 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के साथ पढ़ने के लिए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी और डिफ़ॉल्ट रूप से छह महीने के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा, से दंडित किया गया। दोनों को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

5. ट्रायल कोर्ट की सजा के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यार्थी सं. 1 ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की आपराधिक अपील संख्या 379/2007 में 20.11.2008 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी सं. 1 को सभी आरोपों में बड़ी कार दिया। उच्च न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि ज़ब्ती की कार्यवाही के दौरान पाँच उपस्थित थे।

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपास्त करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1 के एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करते हुए प्रत्यार्थी सं. 1 को दोषी ठहराते हुए दंडित किया है, जो अत्यधिक असंगत और विरोधाभासों से भरा है।

6. प्रत्यार्थी सं. 1, के रिहा किए जाने के आदेश से शुद्ध होकर भारत संघ के विशेष अवकाश याचिका के माध्यम से इस अदालत के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

7. हमने अपीलकर्ता भारत संघ के विद्वान वकील और प्रत्यार्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

8. प्रत्यार्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तथ्य हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उसका मुवक्किल पहले ही साढ़े चार साल की कैद से गुजर चुका है और वह देश में भी नहीं है।

9. अपीलार्थी भारत संघ के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने पूर्वोक्त कथन को स्वीकार किया गया।

10. पीडब्लू 8 और 9, पंच गवाहों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उनके साक्ष्य खुफिया अधिकारी (पीडब्लू-1) के बयान के विपरीत हैं। हम ध्यान दें कि प्रत्यार्थी सं. 1 द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दिए गए बयान को छोड़कर, द्वारा उक्त प्रत्यार्थी के खिलाफ मामले की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, जब उन्हें खुफिया अधिकारी (पीडब्लू-1) द्वारा बुलाया गया था और जब तक वे पहुंचे, तब तक बैग पहले से ही खोला गया था। इसके अलावा यह उनके द्वारा स्वीकार किया गया था कि, पंचनामा उनके सामने नहीं पढ़ा गया था। उन्हें कई कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और उन्हें सामग्री के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा, पीडब्लू-1 यानी, खुफिया अधिकारी ने यह नहीं बताया कि पंचों की उपस्थिति में मादक पदार्थ युक्त बैग खोला गया था। पीडब्लू-9 की क्रॉस-परीक्षा से स्पष्ट है कि वह पंचनामा की सामग्री से इस तथ्य के संबंध में सहमत नहीं है कि बैग की खोज और निरीक्षण उनकी उपस्थिति में हुआ। पंचनामा पर प्राप्त उनके हस्ताक्षर स्वेच्छा से नहीं लगाए गए हैं, जो क्रॉस-परीक्षा के दौरान पीडब्लू-9 द्वारा दिए गए निम्नलिखित बयानों से स्पष्ट हैः

“जैसा कि मैं प्रशिक्षु और नया व्यक्ति था, मैं कस्टम अधिकारी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए मैंने पंचनामा और लेखों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किए”।

इसके अलावा, उपरोक्त निष्कर्ष निम्नलिखित तरीके से मुख्य परीक्षा में किए गए पीडब्लू-8 के बयान से प्रमाणित होता है -

“एआईयू सेक्शन के कार्यालय कक्ष में प्रवेश करने के बाद, मैंने एक खुला सूटकेस देखा, अधिकारियों की संख्या मौजूद थी और पैकेट मुझे दिखाये गये... मैंने कई कागजातों और मुझे दिखाए जा रहे पैकेटों पर हस्ताक्षर किए।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन का पूरा मामला प्रत्यार्थी सं. 1 से मादक पदार्थ की कथित बरामदगी पर टिका है। लेकिन, यह तथ्य उचित संदेह से परे साबित नहीं होता

है क्योंकि स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 ने एक अलग कहानी को बरामदगी और जब्ती के रूप में चित्रित किया है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यार्थी सं. 1 न तो विवेकपूर्ण होगा और न ही सुरक्षित; विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि, प्रत्यार्थी सं. 1 द्वारा एनडीपीएसएक्ट की धारा 67 के तहत दिये गये बयान को 29.06.2004 को वापस ले लिया गया था।

12. उपरोक्त परिस्थितियों और सबूतों के विश्लेषण के बाद; विवेक यह निर्धारित करता है कि आधिकारिक गवाह पीडब्लू-1 का बयान प्रत्यार्थी संख्या 1 को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब आधिकारिक गवाह का बयान दुर्बलताओं के कारण बिगड़ा हुआ है, तो उसी पर निर्भरता रखना और अभियुक्त के खिलाफ सजा का आदेश पारित करना सुरक्षित नहीं है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, स्वतंत्र पंच गवाहों के बयान आधिकारिक गवाह पीडब्लू-1 से एक अलग तस्वीर को दर्शाते हैं।

13. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी सं. 1 को सही बड़ी किया था।

14. उपरोक्त के मद्देनजर और इस तथ्य के संबंध में कि यह घटना वर्ष 2004 की है, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। परिणाम में, अपील में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra